## आरईसी के निदेशक मंडल और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिका और उत्तरदायित्व परिभाषित करने वाला बोर्ड चार्टर का औपचारिक वक्तव्य

लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक सार्वजनिक उद्यमों के कारपोरेट सुशासन के दिशानिर्देशों के खण्ड 3.5 में निम्नलिखित प्रावधान हैं-

"किसी सार्वजनिक कंपनी के बोर्ड और प्रबंधन के बीच जिम्मेदारियों और भूमिकाओं की समुचित परिभाषा आवश्यक है, ताकि बोर्ड अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सके। इसके लिए बोर्ड के पास बोर्ड चार्टर का एक औपचारिक वक्तव्य होना चाहिए जिसमें बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हों। केंद्रीय क्षेत्र के हर उद्यम के निदेशक मंडल को कारपोरेट सुशासन के उद्देश्य और दृष्टिकोण दिशानिर्देशों के मोटे तौर पर मापदंडें तथा व्यावसायिक जोखिम की सामान्य अवधारणा के अनुरूप) स्पष्ट करने को प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि वे अधिकांश शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की अपेक्षाओं को संतुष्ट कर सकें।

एक प्रमुख कार्य अधिकारी होने के नाते किसी कंपनी के मामलों के कुशल प्रशासन और उसके जरिए हितधारकों के लिए मूल्य सर्जन सुनिश्चित करने की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी उसके बोर्ड की है। इसीलिए सुशासन की सर्वप्रमुख आवश्यकता यह है कि बोर्ड, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी/ +बोर्ड के अध्यक्ष और निदेशकों के अधिकारों, भूमिकाओं, जिम्मेदारी और जवाबदेही को स्पष्टरूप से परिभाषित किया जाए। तद्नुसार केंद्रीय क्षेत्रक सार्वजनिक उद्यमों के सुशासन के बारे में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.5 के अनुसरण में हर बोर्ड चार्टर का एक औपचारिक वक्तव्य रखने का प्रस्ताव है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से बोर्ड के निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारी परिभाषित की जाए।

## बोर्ड की जिम्मेदारियां

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 291(1) में बोर्ड के सामान्य अधिकारों और उनकी सीमाओं का विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वे सभी कार्य करने के अधिकार होंगे जिन्हें करने के लिए कंपनी अधिकृत है बशर्ते कि बोर्ड वह कोई अधिकार इस्तेमाल नहीं करेगा या कार्य नहीं करेगा, जो किसी अधिनियम अथवा कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल्स अथवा अन्य के द्वारा कंपनी की आम बैठक में किए जाने को निर्देशित किया गया हो।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292(1) में कुछ उन अधिकारों का विवरण दिया गया है, जिनका इस्तेमाल केवल बोर्ड की बैठकों में किया जाना है। ये अधिकार हैं-

(क) शेयर मूल्य की बकाया रकम अदा करने के लिए शेयरधारकों को आह्वान करने का अधिकार।

(कक) शेयरों की वापसी खरीद के लिए अधिकृत करने का अधिकार;

(ख) ऋणपत्र जारी करने का अधिकार;

(ग) ऋणपत्रों के अलावा पैसा उधार लेने का अधिकार;

(घ) कंपनी की निधियों को निवेश करने का अधिकार;

(ड.) ऋण लेने का अधिकार।

इस धारा के अंतर्गत दिए गए प्रावधान और स्पष्टीकरण बोर्ड को उक्त कुछ अधिकार बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास करके अन्य को प्रत्यावर्तित करने का अधिकार देते हैं।

इसके साथ ही कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 293(1) में बोर्ड के अधिकारों की कुछ सीमा तय करने की व्यवस्था है और कहा गया है कि ये अधिकार किसी आम बैठक में सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे।

इसी प्रकार की व्यवस्थाएं आरईसी के आशयपत्र की धारा 83(1) और (2) में दी गयी हैं।

आरईसी के आशयपत्र की धारा 84 में निदेशकों/बोर्ड के विशिष्ट अधिकारों का विवरण दिया गया है।

आशयपत्र की धारा 84ए में अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अधिकारों के प्रत्यावर्तन का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि कंपनी अधिनियम की धारा 292 के प्रावधानों के अध्याधीन निदेशकगण समय-समय पर अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बोर्ड की किसी समिति या उपसमिति अथवा प्रकार्यात्मक निदेशक को कुछ समय के लिए ऐसे अधिकार दे सकते हैं जो वे उपयुक्त समझें। इस प्रकार दिए गए अधिकार कुछ समय तक निर्धारित उद्देश्यों के लिए और तय की गयी शर्तों के अनुरूप जरूरी सीमाओं के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे अधिकार समय-समय पर रद्द किए जा सकते हैं, वापस लिए जा सकते हैं या उनमें परिवर्तन किया जा सकता है अथवा उन्हें बदला जा सकता है।

आशयपत्र की धारा 84 बी में अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अधिकारों के प्रत्यावर्तन का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बोर्ड द्वारा सौंपे गए अधिकारों को कंपनी के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को उप-प्रत्यावर्तित कर सकता है।

कंपनी अधिनियम 1956 की लागू धाराओं के प्रावधानों के अनुरूप अन्य सभी मामलों के परिपालन की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की होगी। यह बोर्ड सभी संगत विधिक और विनियामक आवश्यकताओं का परिपालन करेगा, जिसमें वर्तमान और भावी प्रक्रिया संबंधी तथा प्रकटन अपेक्षाएं शामिल हैं।

**अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और अन्य निदेशकों की नियुक्ति**

आरईसी के आशयपत्र की धारा 82(1) के अनुसार कंपनी के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत व राष्ट्रपति द्वारा ऐसी शर्तों और पारिश्रामिक पर तथा ऐसी अवधि के लिए की जाएगी जैसा कि राष्ट्रपति समय-समय पर तय करें। धारा 82(2) के अनुसार राष्ट्रपति पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों और अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से अन्य निदेशकों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। तथापि सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों की नियुक्ति के मामले में ऐसे परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी।

**अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा व्यक्तिगत निदेशकों की जिम्मेदारियां**

1- **पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक**

**क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कारपोरेशन का प्रमुख कार्यकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) होता है और वह निदेशक मंडल तथा भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी है। वह कारपोरेशन के कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार होता है, ताकि उसके कारपोरेट उद्देश्य पूरे किए जा सकें और कंपनी तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साल दर साल आधार पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के मापदंडें के अनुरूप निष्पादन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

धारा 91 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सामान्यरूप से बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। इसके साथ ही धारा 60 के अनुसार निदेशक मंडल का अध्यक्ष कंपनी की आम बैठक के समय अध्यक्ष की कुर्सी संभालेगा।

### ख. निदेशक (वित्त)

निदेशक (वित्त), निदेशक मंडल का सदस्य होता है और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। वह संगठन संबंधी तथा वित्तीय नियोजन, वित्तीय नीतियों के सूत्रीकरण, वित्तीय लेखाकरण, प्रबंधन नियंत्रण तंत्र, नकद एवं निधि प्रबंधन, कर नियोजन, संसाधन संग्रहण और प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों तथा पूंजीबाजार के साथ संपर्क करने के लिए जिम्मेदार है। वह कोषागार संबंधी कार्यों को सुपरवाइज करता है और निगम के कारपोरेट रिस्क मैनेजमेंट तथा वित्तीय निष्पादन कार्यों की देख-रेख करता है।

### ग. निदेशक (तकनीकी)

निदेशक (तकनीकी), निदेशक मंडल का सदस्य होता है और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। वह व्यावसायिक योजना, उत्पाद मार्केटिंग, नये व्यावसायिक अवसरों की पहचान, मूल्यांकन में तकनीकी विशेषज्ञता और मार्ग दर्शन करने, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं सहित विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन नियंत्रण और उनकी प्रगति पर नजर रखने, तंत्र सुधार और ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं, अनुसंधान और विकास, मानकीकरण, तकनीकी जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण, तकनीकी परामर्श सेवा संबंधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है।

### 2- अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक

स्टॉक एक्सचेंजें के साथ लिस्टिंग एंग्रीमेंट के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसार सुदृढ़ कारपोरेट सुशासन के लिए बोर्ड का स्वतंत्र होना आवश्यक है। उम्मीद की जाती है कि यह लक्ष्य पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल करके पूरा किया जाएगा। लिस्टिग एग्रीमेंट के खंड 49 के अनुसार आरईसी के निदेशक मंडल में भारत सरकार ने चार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। इन स्वतंत्र निदेशकों को उस प्रकार के कार्यकारी अधिकार और उत्तरदायित्व नहीं सौंपे गए हैं जैसे पूर्णकालिक निदेशकों को। वे बोर्ड की बैठकें में शामिल होते हैं और बोर्ड समितियों की बैठकों में आते हैं। बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष इन समितियों में उन्हें नामांकित करता है और वे जब भी बैठक बुलाई जाती है, उनमें शामिल होते हैं।

किसी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति और भूमिका शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों के हितरक्षण का एक साधन माना जाता है। इसके जरिए बोर्ड के सामने रखे गए मामलों पर तथ्यपरक और स्वतंत्र रूप से जांच, बहस और फैसले करने के अवसर मिलते हैं। स्वतंत्र निदेशक जाने माने व्यावसायिक होते हैं और विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, अतः उनके व्यापक दृष्टिकोण के जरिए कारपोरेट सुशासन बढ़ जाता है। बोर्ड समय-समय पर जो भी फैसले लेता है उनमें विचार विमर्श की सामूहिक जिम्मेदारी इन स्वतंत्र निदेशकों की होती है।

### 3- अंशकालिक अधिकारी/सरकारी निदेशक

जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 82(2) के अनुसार राष्ट्रपति सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों की भी नियुक्ति करता है। आरईसी के मामले में एक निदेशक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है जो इस कंपनी के अधिकांश शेयरधारक, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्र निदेशकों की तरह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक को भी कोई कार्यकारी अधिकार अथवा जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गयी हैं। पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों के ये निदेशक मुख्यरूप से बोर्ड की बैठक और बोर्ड समितियों की बैठकों में आते हैं। इन समितियों में उनका नामांकन बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य द्वारा किया जाता है। अंशकालिक सरकारी निदेशक की भूमिका और जिम्मेदारियां भी वैसी ही हैं जैसी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशकों की रखी गयी हैं।